प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो–इन्टे., उदयपुर थाना सी.पी.एस., ए.सी.बी., जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स ...279/22... दिनांक .....10/7/2022.....
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं – 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं – –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या .....87..... समय .....5:55 P.M.
   (2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार, दिनांक 8–7–2022, समय 2.38 पी.एम.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 7–7–2022 समय 11.00 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
   (1) थाना से दिशा व दूरी– बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 520 किलोमीटर
   (2) पता– दी डूंगरपुर सेंट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा कनबा जिला डूंगरपुर ।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

परिवादी

(1) नाम : श्री देबीलाल डामोर
(2) पिता का नाम : कनका जी
(3) आयु : 45 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि .....जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : लैम्पस अध्यक्ष
(7) पता : गांव खजूरी तहसील एवं पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

1) श्री मितार्थ श्रीमाली पिता भूपेन्द्र श्रीमाली, उम्र 37 वर्ष निवासी 1/86 शिवाजी नगर, डूंगरपुर हाल प्रबंधक प्रधान कार्यालय दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक लि. डूंगरपुर।
2) श्री विकास गुप्ता पिता कृष्ण गुप्ता, उम्र 32 वर्ष, निवासी गॉव व तहसील डबवाली जिला सीरसा हरियाणा, हाल किराये का मकान स्थित आदर्श नगर, एचपी गैस एजेंसी के पास डूंगरपुर हाल मूल पद क्लर्क कार्यवाहक शाखा प्रबंधक, दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक लि. शाखा कनबा, डूंगरपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	1,50,000/– रूपये,	आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली एवं श्री विकास गुप्ता के द्वारा परिवादी से क्रमशः 1,25,000 रूपये एवं 25,000 रूपये रिश्वत मांगकर ग्रहण करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 1,50,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवा में,

श्रीमान् DYSP साहेब
ACB उदयपुर

विषय – कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ''मैं देवीलाल डामोर पुत्र कनका जी निवासी खजूरी में लैम्पस अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर कार्य कर रहा हूँ गांव खजूरी में लेम्पस का खाद बीज का गोदाम निर्माण के लिए 10 लाख का बजट सहकारिता विभाग से मिला था। यह बजट 2015–16 में स्वीकृत हुआ था। उसके बाद भवन निर्माण का कार्य खजूरी पंचायत भवन के पास किया और कार्य 2022 के शुरूआ में पूर्ण हो गया। भवन की फिनिशिंग बाउण्ड्रीवाल कलर का काम शेष रहा। जिसके लिए बजट का भुगतान दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक प्रधान कार्यालय डूंगरपुर से भुगतान का आदेश शाखा प्रबंधक कनबा को दिया गया। इस भुगतान के लिये प्रबंधक डूंगरपुर द्वारा भुगतान का आदेश दिया गया जिसका भुगतान शाखा प्रबंधक डूंगरपुर श्री मितार्थ श्रीमाली एवं कनबा के शाखा प्रबंधक श्री विकास गुप्ता द्वारा किया जाना है। स्वीकृत राशि में से 2 लाख शेष था जिसके भुगतान की एवज में श्री मितार्थ श्रीमाली द्वारा 1,25,000 रूपये और श्री विकास गुप्ता द्वारा 25,000 रूपये मांग रहे हैं। इन दोनो के द्वारा पैसे नहीं देने के कारण सरकारी राशि का भुगतान रोका जा रहा है। इन दोनो के द्वारा मेरे काम को रोका जा रहा है, ये दोनो रिश्वत राशि लेने के बाद ही मेरा भुगतान करेगें। मैं इन दोनो को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, मैं इनको रिश्वत लेते रंगें हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। इनसे मेरा अन्य कोई लेन–देन नहीं है।''

प्रार्थी
एसडी/–
देवीलाल

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 7.7.22 को समय करीब 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री देवीलाल पुत्र श्री कनका जी निवासी गांव खजूरी तहसील एवं पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, उदयपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मैं देवीलाल डामोर पुत्र कनका जी निवासी खजूरी में लैम्पस अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर कार्य कर रहा हूँ गांव खजूरी में लेम्पस का खाद बीज का गोदाम निर्माण के लिए 10 लाख का बजट सहकारिता विभाग से मिला था। यह बजट 2015–16 में स्वीकृत हुआ था। उसके बाद भवन निर्माण का कार्य खजूरी पंचायत भवन के पास किया और कार्य 2022 के शुरूआ में पूर्ण हो गया। भवन की फिनिशिंग बाउण्ड्रीवाल कलर का काम शेष रहा। जिसके लिए बजट का भुगतान दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक प्रधान कार्यालय डूंगरपुर से भुगतान का आदेश शाखा प्रबंधक कनबा को दिया गया। इस भुगतान के लिये प्रबंधक डूंगरपुर द्वारा भुगतान का आदेश दिया गया जिसका भुगतान शाखा प्रबंधक डूंगरपुर श्री मितार्थ श्रीमाली एवं कनबा के शाखा प्रबंधक श्री विकास गुप्ता द्वारा किया जाना है। स्वीकृत राशि में से 2 लाख शेष था जिसके भुगतान की एवज में श्री मितार्थ श्रीमाली द्वारा 1,25,000 रूपये और श्री विकास गुप्ता द्वारा 25,000 रूपये मांग रहे हैं। इन दोनो के द्वारा पैसे नहीं देने के कारण सरकारी राशि का भुगतान रोका जा रहा है। इन दोनो के द्वारा मेरे काम को रोका जा रहा है, ये दोनो रिश्वत राशि लेने के बाद ही मेरा भुगतान करेगें। मैं इन दोनो को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, मैं इनको रिश्वत लेते रंगें हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। इनसे मेरा अन्य कोई लेन–देन नहीं है।'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो मामला रिश्वत राशि लेन–देन का पाया जाने से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर में पदस्थापित कानि. श्री टीकाराम को तलब कर बुलाया गया आमद दर्ज की गयी। श्री टीकाराम कानि से कार्यालय हाजा के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गयी। तत्पश्चात श्री टीकाराम कानि एवं परिवादी श्री देवीलाल का आपस में परिचय कराया गया। श्री टीकाराम कानि को हिदायत दी कि वह परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करावें।

इसके बाद समय 1.30 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल एवं श्री टीकाराम कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी को बाद हिदायत रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु डूंगरपुर की ओर रवाना किया। इसके बाद समय करीबन 5.22 पीएम श्री टीकाराम कानि ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि ''मैं तथा परिवादी आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर से रवाना होकर डूंगरपुर पहुंच परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर दिया जाकर सिटी ब्रांच, दी डूंगरपुर सेंट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लिमिटेड में भेजा जहां पर परिवादी ने संदिग्ध श्री मितार्थ श्रीमाली से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता की। बाद वार्ता परिवादी बैंक से बाहर आया व बताया कि श्री मितार्थ श्रीमाली से बात हो गयी है, उसने 1,25,000 रूपये मांगें है। उसके बाद हम दोनो एकांत में जाकर समय करीब 5.16 पी.एम. पर परिवादी के मोबाइल नम्बर 8094115853 से संदिग्ध श्री विकास गुप्ता, शाखा प्रबंधक कनबा के मोबाइल नम्बर 7082128862 पर परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता करायी। मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता के दौरान संदिग्ध श्री विकास गुप्ता ने 25,000 रूपये की मांग की है जिसके कुछ ही समय पश्चात संदिग्ध श्री विकास गुप्ता ने परिवादी के मोबाइल पर मिस कॉल किया जिस पर समय करीब 5.39 पीएम पर परिवादी के मोबाइल फोन से संदिग्ध के मोबाइल फोन पर पुनः वार्ता करायी गयी जिस पर मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया।'' परिवादी को संदिग्धों द्वारा रिश्वत राशि दिनांक 8–7–22 को लेकर बुलाया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा श्री टीकाराम के मोबाइल से परिवादी से भी वार्ता की तो परिवादी ने भी कानि के कथनों की ताईद की जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 8–7–22 को समय करीब 11 ए.एम. पर बरोठी स्थित हाईवे पेट्रोल पंप के बाहर उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया। श्री टीकाराम कानि को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय इन्टे, उदयपुर पर उपस्थित आने के लिए निर्देशित किया गया।

परिवादी को संदिग्धगणों के द्वारा रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 8–7–22 को बुलाया है। इस हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आयुक्त, नगर निगम उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु जरिये दूरभाष वार्ता कर निवेदन किया कि ''आपके अधीनस्थ दो कर्मचारीगण दिनांक 8–7–22 को प्रातः 9.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर पर भिजवावें।'' इसके बाद समय 8.50 पीएम पर श्री टीकाराम कानि मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ताओ को मेरे द्वारा चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि हुई एवं कानि, परिवादी के द्वारा बताये हुए कथनों की ताईद हुई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 8.7.22 को प्रातः तलबीदा श्री राजेन्द्र कुमार मीना, पुलिस उप अधीक्षक एवं श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, श्री करणसिंह हैड कानि, श्री सुरेश कानि मय सरकारी वाहन भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर से एवं ब्यूरो इकाई एसयू उदयपुर से श्री नंदकिशोर कानि उपस्थित कार्यालय हुए जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। तदुपरांत समय 9.30 एएम पर तलवीदा स्वतंत्र गवाहान श्री सुनिल कुमार बोडा पुत्र श्री शिवप्रकाश बोडा निवासी बी 826, महावीरम कॉम्पलेक्स, कुंभानगर सेक्टर न 3 हिरणमगरी उदयपुर हाल सहायक अभियंता एवं श्री अजय गहलोत पुत्र श्री कैलाश गहलोत निवासी 221 अंबामाता पुलिस थाने के पीछे उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, नगर निगम उदयपुर मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए। श्री सुनिल कुमार बोडा एवं श्री अजय गहलोत से मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गयी तो दोनो ने अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की।

दर्ज रहे कि दृष्टांत फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रतिक्रिया परिवादी की उपस्थिति में ही प्रदर्शित की जानी है। इस हेतु श्री नंदकिशोर कानि को कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर श्री नंदकिशोर कानि से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवायी जाकर श्री नंदकिशोर कानि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेन्द्र कुमार मीना पुलिस उप अधीक्षक मय श्री नंदकिशोर कानि के सरकारी वाहन के

बरोठी पर हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचने की हिदायत के समय करीब 11.15 पी.एम. पर रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार सहायक अभियंता, श्री अजय गहलोत कनिष्ठ सहायक एवं, श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, श्री करणसिंह हैड कानि, श्री टीकाराम कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, श्री विकास कानि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर मय आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन से बरोठी के लिए रवाना हो समय 12.30 पीएम पर बरोठी हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप के बाहर पहुंच सरकारी/ प्राईवेट वाहन को साईड में खडा किया। जहां पर पूर्व में पाबंदशुदा परिवादी श्री देवीलाल एवं एक अन्य व्यक्ति उपस्थित मिला। जिसके बारे में परिवादी ने बताया कि श्री चंद्रकांत कोटडिया पुत्र श्री मोतीलाल कोटडिया निवासी रघुनाथपुरा तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर हाल व्यवस्थापक, लेम्पस खजूरी जिला डूंगरपुर होना बताया। परिवादी ने बताया कि श्री चंद्रकांत को मेरे द्वारा करायी जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में पता है। ये भी मेरे साथ जाकर आरोपीगण से वार्ता करेंगे, क्योंकि हम एक ही लेम्पस में कार्यरत होने से आरोपीगण सें मिलते रहते है। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी, सहपरिवादी के रोड के एक साईड में जाकर परिवादी श्री देवीलाल, सहपरिवादी का परिचय स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार सहायक अभियंता, श्री अजय गहलोत कनिष्ठ सहायक से आपस में कराया गया। इसके उपरांत परिवादी द्वारा पूर्व में पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को परिवादी, सहपरिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द सही होना बताते हुए अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया था। उक्त रिपोर्ट पर सहपरिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

दिनांक 7–7–22 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड थी, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चलाकर परिवादी, सहपरिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर सुनाई गयी जिसमें मांग सत्यापन होना पाया गया। इसके बाद समय 12.55 पीएम पर उपस्थितिन के समक्ष परिवादी श्री देवीलाल से आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली, प्रबंधक एवं श्री विकास गुप्ता क्लर्क को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री देवीलाल ने बताया कि मैं 50,000 रूपये लेकर आया हूँ, इतनी राशि की ही व्यवस्था हो सकी है जो कि मेरी पेंट की सामने की दोनो जेबों में 25–25 हजार रूपये के दो बण्डल रखे हुए है। दी डूंगरपुर सेंट्रल कॉआपरेटिव बैंक शाखा कनबा जिला डूंगरपुर में ही हमारी गोदाम निर्माण खजूरी लेम्पस के नाम से उसी शाखा में खाता है। गोदाम निर्माण का बकाया राशि 2,00,000 रूपये है जो चैक द्वारा विड्रोल करा उसी राशि में से 1,00,000 रूपये निकालकर कुल 1,25,000 रूपये आरोपी श्री मितार्थ श्रीमाली को मांग अनुसार दूंगा जिसकी चैकबुक मैं साथ लेकर आया हूँ जिसका खाता सं. 21007101120000991 है। आरोपीगणों के द्वारा पुरी रिश्वती राशि मांगने पर उसी शाखा से विड्रोल करा उनकी मांग अनुसार पुरी रिश्वती राशि उनको दे दूंगा।

आरोपी श्री मितार्थ श्रीमाली, प्रबंधक को रिश्वत स्वरूप देने के लिये परिवादी श्री देवीलाल ने अपनी पेंट की दाहिनी जेब में से 500–500 रूपये को 50 नोट कुल राशि 25,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये।

इसी प्रकार आरोपी श्री विकास गुप्ता, क्लर्क (कार्यवाहक शाखा प्रबंधक) का रिश्वत स्वरूप देने के लिये परिवादी श्री देवीलाल ने अपनी पेंट की बायीं जेब में से 500–500 रूपये को 50 नोट कुल राशि 25,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये।

परिवादी श्री देवीलाल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री नंदकिशोर कानि से सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपस्थितिन के समक्ष ही फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रक्रिया भी प्रदर्शित कर सभी को समझाई गई एवं इसके मंतव्य से सभी को अवगत कराया। सभी का आपस में परिचय भी कराया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपीगण के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री देवीलाल को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपीगण से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। श्री राजेन्द्र कुमार मीना पुलिस उप अधीक्षक मय श्री

नंदकिशोर कानि. को मय सरकारी वाहन के बरोठी स्थित पेट्रोल पंप के पास ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई ।

तदुपरांत समय 1.25 पी.एम. पर परिवादी श्री देवीलाल मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, सहपरिवादी श्री चंदकांत एवं श्री टीकाराम कानि के सहपरिवादी की निजी मोटरसाइकिल से कस्बा कनबा के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के प्राइवेट वाहन से कनबा के लिए रवाना हो समय करीबन 1.35 पीएम पर कनबा कस्बा पहुँच परिवादी एवं सहपरिवादी को दी डूंगरपुर कॉ–आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा कनबा के लिए रवाना किया जाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता को ऑपरेटिव बैंक के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छिपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। इसके बाद सहपरिवादी श्री चंद्रकांत ने समय करीब 2.38 पीएम पर दी डूंगरपुर कॉ–आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा कनबा के बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। ईशारा मिलने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य तेज–तेज कदमों से चलकर सहपरिवादी के पास पहुंचे। जहां सहपरिवादी के साथ जाकर कॉपरेटिव बैंक में प्रवेश कर सहपरिवादी के पीछे पीछे बैंक के पीछे स्थित सर्वर रूम में पहुंचे जहां परिवादी श्री देवीलाल उपस्थित मिला एवं अन्य दो व्यक्ति उपस्थित मिले। परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किया जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया। परिवादी ने बैठे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही मितार्थ श्रीमाली मैनेजर साहब है जो हैड ऑफिस डूंगरपुर में बैठते है एवं दूसरे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये विकास गुप्ता बैंक मैनेजर कॉपरेटिव बैंक कनबा है और परिवादी ने बताया कि इन दोनो की मांग अनुसार मेरे द्वारा दी डूंगरपुर कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा कनबा में से चैक से 2 लाख रूपये अभी अभी विड्रोल कराये। जिसमें से 1,00,000 रूपये जो कि 50–50 हजार की दो गिडडी के साथ पूर्व में मेरी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखी हुई रिश्वत राशि 25,000 रूपये को उन गिडडीयों के साथ मिलाकर कुल 1,25,000 रूपये श्री मितार्थ श्रीमाली मैनेजर साहब ने मेरे से मांगकर अपने दोनो हाथों से ग्रहण कर अपने पास रखे हैण्ड बेग में से काले रंग की थैली निकालकर उसमें रख दिये एवं विकास गुप्ता ब्रांच मैनेजर साहब ने उनकी मांग अनुसार मैंने अपनी पहनी हुई पेंट की बायी जेब में रखे 25,000 रूपये दिये। जिन्हें विकास गुप्ता के द्वारा अपने दोनो हाथो से ग्रहण कर पहनी हुई पेंट की पीछे की बायी जेब में रखे। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना व दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा परिवादी द्वारा पूर्व में बताये गये व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री मितार्थ श्रीमाली पुत्र भूपेन्द्र श्रीमाली निवासी 1/86, शिवाजी नगर, डूंगरपुर हाल प्रबंधक, प्रधान कार्यालय दी डूंगरपुर सेंट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड होना बताया। तत्पश्चात दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री विकास गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण गुप्ता मूल निवासी गांव व तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा) हाल निवासी आदर्श नगर, एचपी गैस एजेन्सी के पास डूंगरपुर मूल पद क्लर्क, चार्ज शाखा प्रबंधक, दी डूंगरपुर सेंट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कनबा होना बताया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी की ओर ईशारा कर आरोपी श्री मितार्थ श्रीमाली से पूछा कि आपने अभी–अभी इससे 1,25,000 रूपये किस बात के ग्रहण किये है जिस पर आरोपी श्री मितार्थ श्रीमाली ने घबराते हुए कहा कि साहब गलती हो गयी है मुझे माफ कर दो। तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा आरोपी श्री विकास गुप्ता से परिवादी से ग्रहण किये गये 25,000 रूपये के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री विकास गुप्ता कुछ नहीं बोलकर मुंह नीचे कर दिया। जिस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि गांव खजूरी में लेम्पस का खाद बीज का गोदाम निर्माण के लिए 10 लाख का बजट वर्ष 2015–16 सहकारिता विभाग से मिला था। उसके बाद भवन निर्माण का कार्य खजूरी पंचायत भवन के पास किया और कार्य 2022 के शुरूआत में पूर्ण हो गया जिसका समय समय पर श्री मितार्थ श्रीमाली मैनेजर साहब एवं श्री विकास गुप्ता ब्रांच मैनेजर साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के नाम से रिश्वती राशि की मांग कर रहे थे और भविष्य में भी किये जाने वाले निरीक्षण के संबंध में व्यवधान नहीं डालने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे जिस पर मेरे द्वारा उनकी

मांग अनुसार अभी अभी श्री मितार्थ श्रीमाली ने 1,25,000 रूपये तथा श्री विकास गुप्ता ने 25,000 रूपये सर्वर रूम के पीछे लेटबॉथ के पास ले लिये हैं जिस पर दोनो आरोपीगण पुनः सर्वर रूम में आये जहॉ श्री मितार्थ श्रीमाली ने अपने पास रखे हैण्डबैग में से पोलिथीन की एक काली थैली में निकालकर उक्त थैली में 1,25,000 रूपये रखकर अपने पास रखे काले रंग के हेण्ड बैग में रख दिये और श्री विकास गुप्ता ने मेरे से 25,000 रूपये अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की बायीं जेब में रख दिये हैं जिस पर दोनो आरोपीगण गलती होना स्वीकार करने लगे जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त प्रक्रियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए प्राइवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कॉच की गिलासों को निकलवाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री मितार्थ श्रीमाली के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री मितार्थ श्रीमाली के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये।

ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कॉच की गिलासों को निकलवाकर गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री विकास गुप्ता के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.–3 व आर.एच.–4 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री विकास गुप्ता के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.–3 व एल.एच.–4 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके उपरांत परिवादी की निशादेही से स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार सहायक अभियंता से आरोपी श्री मितार्थ श्रीमाली के पास रखे काले रंग का कपडे का हेण्ड बैग की तलाशी ली गयी तो उक्त बैग में से काले रंगे की पॉलिथीन की थैली मिली। जिसमें 500–500 रूपये की दो गिडडीया एवं इन गिडडीयों के अलावा 500–500 रूपये के कुछ और नोट मिले। जिन्हें स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 50–50 हजार रूपये की दो गिडडीयों के अलावा 25,000 रूपये होना पाया गया। जो कुल राशि 1,25,000 रूपये होना बताया। उक्त राशि में 50–50 हजार की दोनो गिडडीयो के अलावा जो 25,000 रूपये मिले, उन 25,000 रूपये का मिलान दोनो गवाहान से पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो फर्द पेशकशी में अंकित परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे हुए नोटों के नंबरों से उक्त नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू होना बताया।

इसके उपरान्त उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 25,000 रूपये एक सफेद कागज मे सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे

ब्यूरो लिये गये। शेष रही 50–50 हजार रूपये की दोनो गड्डीयों को एकसाथ कर इन 1 लाख रूपयों को सफेद कागज मे सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात रिश्वत राशि के बरामदगी स्थान पॉलिथीन की काले रंग की थैली का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स में से कांच का एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में काले रंग की उक्त थैली को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क टी–1 व टी–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त थैली को सुखवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री विकास गुप्ता के द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि 25,000 रूपये ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की बायीं जेब में रखे। जिस हेतु स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार सहायक अभियंता से आरोपी श्री विकास गुप्ता की जामातलाशी लिवायी गयी तो उसकी पहनी हुई पेंट की बायीं जेब से कुछ नोट मिले। जिन्हें दोनो गवाहान से गिनवाया तो 500–500 रूपये के कुल 50 नोट कुछ 25,000 होना बताया। उक्त राशि का मिलान दोनो गवाहान से पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो फर्द पेशकशी में अंकित परिवादी की पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में रखे हुए नोटों के नंबरों से उक्त नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू होना बताया।

इसके उपरान्त उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो पर सफेद कागज मे सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके उपरांत आरोपी के पहने हुए पेंट की पिछली बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की अन्य पेंट मंगवाकर पहनी हुई पेंट को सम्मान उतरवाकर ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री विकास गुप्ता की पेंट की पिछली बायीं जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेंट की पिछली बायीं जेब को सुखवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

परिवादी के द्वारा खजूरी लेम्पस से संबंधित चैक बैंक शाखा में दिया जाकर नकद राशि प्राप्त की जाना बताये जाने से उक्त चैक के बारे में श्री विकास गुप्ता से पूछा गया तो उसने एक चैक निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किया। उक्त चैक का अवलोकन किया गया तो चेक पर दी डूंगरपुर सेंट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. डूंगरपुर लिखा होकर गोदाम निर्माण खजूरी लेम्पस के सेविंग अकाउंट नं. 2100710112000991 चैक नम्बर 028075 दिनांक 8–7–2022 से राशि 2,00,000 रूपये पेड केश करना पाया गया। उक्त चैक की छायाप्रति बैंक में रखी जाकर मूल चैक प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया।

तदुपरांत आरोपीगण के निवास स्थान डूंगरपुर शहर में होने से उनके निवास की खानातलाशी ली जाना वांछित होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा जरिये दूरभाष श्री राजेन्द्र कुमार मीना, पुलिस उप अधीक्षक को खानातलाशी ली जाने हेतु निवेदन किया गया।

दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण की निशादेही से घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया।

दर्ज रहे कि उक्त बैंक में आम नागरिको के दैनिक कार्य बाधित न हो एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु सुलभ स्थान नहीं होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादगण एवं ब्यूरो जाप्ता, डिटेनशुदा आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली एवं श्री विकास गुप्ता, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के प्राइवेट वाहन/ मोटरसाइकिल से समय करीबन 4.35 पीएम पर रवाना हो समय करीबन 4.45 पीएम पर पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर पहूँच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

तदुपरांत दिनांक 7–7–22 को परिवादी एवं आरोपी श्री मितार्थ श्रीमाली के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट मूल एवं डब दो सीडीज तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांस्क्रीप्ट तैयार करवाई गई, जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर दोनो सीडीज एवं फर्द पर करा, मूल सीडी को सीलचिट बंद करा सुरक्षित रखी गई। इसके बाद दिनांक 7–7–22 को परिवादी एवं आरोपी श्री विकास गुप्ता के मध्य समय करीब 5.16 पीएम पर हुई मोबाइल वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट मूल एवं डब दो सीडीज तैयार करवाई, इसके बाद फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनवाई गई, सभी संबंधितों के हस्ताक्षर दोनो सीडीज एवं फर्द पर करा, मूल सीडी को सीलचिट बंद करा सुरक्षित रखी गई। तदुपरांत दिनांक 7–7–22 को परिवादी एवं आरोपी श्री विकास गुप्ता के मध्य समय करीब 5.39 पीएम पर हुई मोबाइल वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट मूल एवं डब दो सीडीज तैयार करवाई, इसके बाद फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनवाई गई, सभी संबंधितों के हस्ताक्षर दोनो सीडीज एवं फर्द पर करा, मूल सीडी को सीलचिट बंद करा सुरक्षित रखी गई। तत्पश्चात् दिनांक 8–7–22 को ही परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपीगण के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट मूल एवं डब दो सीडीज तैयार करवाई, इसके बाद फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनवाई गई, सभी संबंधितों के हस्ताक्षर दोनो सीडीज एवं फर्द पर करा, मूल सीडी को सीलचिट बंद करा सुरक्षित रखी गई। इसके उपरान्त ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड को भी पृथक से मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर एक कपडे की थेली में रख सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया।

तत्पश्चात् आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली एवं श्री विकास गुप्ता को अपनी–अपनी आवाज का नमूना देने हेतु पत्र दिया गया तो आरोपीगणों ने उक्त पत्रों पर ही अपनी अपनी आवाज का नमूना नही देने बाबत् प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी श्री विकास गुप्ता की परिवादी से मोंबाइल वार्ता होना पाया जाने से आरोपी के मोबाइल को एक सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब की गयी।

इसके बाद हर दोनो आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली पुत्र भूपेन्द्र श्रीमाली निवासी 1/86, शिवाजी नगर, डूंगरपुर हाल प्रबंधक, प्रधान कार्यालय दी डूंगरपुर सेंट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड डूंगरपुर एवं श्री विकास गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण गुप्ता मूल निवासी गांव व तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा) हाल निवासी आदर्श नगर, एचपी गैस एजेन्सी के पास डूंगरपुर मूल पद क्लर्क, चार्ज शाखा प्रबंधक, दी डूंगरपुर सेंट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कनबा जिला डूंगरपुर को अपने अपने जूर्म से अवगत करा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार दी गई।

कुछ समय बाद श्री राजेन्द्र कुमार मीना मय कानि श्री नंदकिशोर उपस्थित होकर फर्द खानातलाशी आरोपी श्री विकास गुप्ता के किराये का मकान एवं श्री मितार्थ श्रीमाली के शिवाजी नगर स्थित मकान की फर्द खानातलाशी रिपोर्ट एवं गोदाम भवन खजूरी से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत की जिन्हें शामिल कार्यवाही किया गया।

तदुपरांत परिवादी एवं सहपरिवादी को उनकी मोटरसाइकिल से उनके घर के लिए रूखसत करते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो टीम मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण एवं जप्तशुदा आर्टिकल मय ट्रेप बॉक्स इत्यादि के सरकारी/प्राइवेट वाहनों से रवाना हो समय करीबन 4.00 ए.एम. पर उदयपुर शहर स्थित पुलिस थाना

भूपालपुरा, पहुंच आरोपीगण मितार्थ श्रीमाली एवं श्री विकास गुप्ता को सुरक्षित हवालात में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर पहुंचे। जप्तशुदा आर्टीकल्स एवं रिश्वत राशि, सीडीयों को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय से रुखसत किया गया।

दिनांक 9–7–2022 गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली एवं श्री विकास गुप्ता को पुलिस थाना भूपालपुरा से प्राप्त कर आरोपीगण का मेडिकल परीक्षण करा कार्यालय उदयपुर में लाया गया जहाँ से रवाना हो मन् पुलिस उप अधीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली एवं श्री विकास गुप्ता के माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर पहूँचा जहां पर माननीय न्यायालय से आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली एवं श्री विकास गुप्ता को 15 दिन जे.सी. रिमाण्ड में भेजने हेतु रिमाण्ड पेश कर निवेदन करने पर माननीय न्यायाधीश द्वारा उक्त दोनो आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश प्रदान किया जिस पर माननीय न्यायालय से जे.सी. वारण्ट प्राप्त कर आरोपीगणों को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

इस प्रकार समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री देवीलाल डामोर पुत्र श्री कनका जी, लेम्पस अध्यक्ष खजूरी, डूंगरपुर ने दिनांक 7.7.22 को उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित शिकायत पेश कर अंकित किया कि खजूरी लेम्पस के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2015–16 के बजट में सहकारिता विभाग द्वारा 10 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हुई थी, उक्त भवन निर्माण के स्वीकृत बजट में से 2 लाख रूपये शेष रहे थे जिसके भुगतान के बिल पास करने की एवज में दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक लि. डूंगरपुर की मुख्य शाखा के प्रबंधक श्री मितार्थ श्रीमाली एवं शाखा कनबा जिला डूंगरपुर के प्रबंधक श्री विकास गुप्ता द्वारा क्रमशः 1,25,000 एवं 25,000 रूपये की मांग की गई, दौराने सत्यापन दिनांक 7.7.2022 को उक्त लोकसेवकों द्वारा सहकारी राशि के भुगतान की एवज में परिवादी श्री देवीलाल लेम्पस अध्यक्ष से मांग किये जाने की पुष्टि हुई, इस पर दिनांक 8.7.22 को ट्रेप कार्यवाही आयोजित कर दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक लि. डूंगरपुर की कनबा शाखा में उक्त दोनो आरोपीगण के द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि अपनी–अपनी मांग अनुसार ग्रहण करते हुए रंगें हाथों गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली, प्रबंधक, प्रधान कार्यालय दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक लि. डूंगरपुर एवं श्री विकास गुप्ता, मूल पद क्लर्क कार्यवाहक शाखा प्रबंधक, दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक लि. शाखा कनबा, डूंगरपुर के द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से दिनांक 8.7.2022 को परिवादी श्री देवीलाल, लेम्पस अध्यक्ष से लेम्पस भवन के निर्माण निरीक्षण करने की एवज में आरोपी श्री मितार्थ श्रीमाली ने 1,25,000 एवं आरोपी श्री विकास गुप्ता ने 25,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7 पी. सी. (संशोधित) एक्ट 2018 के तहत प्रमाणित है।

अतः आरोपीगण श्री मितार्थ श्रीमाली, प्रबंधक, प्रधान कार्यालय दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक लि. डूंगरपुर एवं श्री विकास गुप्ता, मूल पद क्लर्क कार्यवाहक शाखा प्रबंधक, दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटीव बैंक लि., शाखा कनबा, डूंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर की सेवा में वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(दिनेश सुखवाल)
उप पुलिस अधीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो(इन्टे.)उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दिनेश सुखवाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्र.नि. ब्यूरो (इन्टें.) उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त 1. श्री मितार्थ श्रीमाली, प्रबंधक, प्रधान कार्यालय दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लि. डूंगरपुर एवं 2. श्री विकास गुप्ता, मूल पद क्लर्क, कार्यवाहक शाखा प्रबंधक, दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लि.,शाखा कनबा, डूंगरपुर के विरूद्ध गठित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 279/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2446-51 दिनांक 10.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश वं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. संचालक मंडल, दी डूंगरपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,न्यू कॉलोनी डूंगरपुर।
4. प्रबंध निदेशक, दी डूंगरपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,न्यू कॉलोनी, डूंगरपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
6. अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (ईन्टें) उदयपुर।

10.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।